

उत्तर प्रदेश शासन  
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1  
संख्या- 17/2015/821/43-1-2015-39(6)/2002  
लखनऊ : दिनांक- 22 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या-648/43-1-2014-39(6)/2002, दिनांक 29 मई, 2014 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के रूप में नामित श्री परशुराम प्रसाद, तत्कालीन विशेष सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग के स्थान पर डॉ० नन्द लाल, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग को तात्कालिक प्रभाव से प्रथम अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

एस०एन० शुक्ल  
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 2- निजी सचिव, विशेष सचिव, श्रम विभाग (श्री परशुराम प्रसाद), उ०प्र० शासन।
- 3- डॉ० नन्द लाल, संयुक्त सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 4- उप सचिव (श्री भवेश रंजन/श्री आर०के० सिंह), प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 5- अनु सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
- 6- अनुभाग अधिकारी, प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1/2 एवं अनुभाग अधिकारी, (लेखा)।
- 7- सचिव, राज्य सूचना आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
- 8- संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
- 9- मुख्य निरीक्षक, राजकीय कार्यालय निरीक्षणालय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
- 10- अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

( भवेश रंजन )  
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।  
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।